



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 28.08.2023

थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस सैल एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने लूट की घटना का 06 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड 01 लूटेरे को घायलावस्था सहित कुल 02 लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूट हुई एक गाडी स्विफ्ट डिजायर व एक मोबाइल फोन तथा 02 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद ।

सांक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.08.2023 को थाना बिनौली पर वादी श्री विनित पुत्र नरेश निवासी ग्राम कनौरा थाना जवाँ जनपद अलीगढ ने सूचना दी कि दो अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी तथा तमन्चा दिखाकर व जान से मारने की धमकी देकर उसके मोबाइल, रुपये व गाडी स्विफ्ट डिजायर कार नं0 HR-55AH-4525 को लूट कर भाग गये । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 202/23 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/लुटेरें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस सैल व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना का 06 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान सिरसली रोड पर शाम करीब 18.00 बजे बाद पुलिस मुठभेड 01 लुटेरे को घायलावस्था सहित कुल 02 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूट हुई एक गाडी स्विफ्ट डिजायर नं0 HR-55AH-4525 व एक मोबाइल तथा 02 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद बरामद हुई हैं।

घायल बदमाश रॉबिन उर्फ सीटू को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मनोज उर्फ मोनू पुत्र विमल ग्राम जीवन गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-रॉबिन उर्फ सीटू पुत्र ओमपाल सिंह ग्राम जीवना गुलियांन थाना बिनौली जनपद बागपत। (घायलावस्था में)

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमन्चे.315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस.315 बोर।
- लूटी हुई 01 गाडी स्विफ्ट डिजायर नं0 HR-55AH-4525
- लूटा हुआ एक मोबाइल।

गिरफ्तार अभियुक्त रॉबिन उर्फ सीटू का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1129/2022 धारा 394 भादवि थाना लोनी ग्रामीण जनपद गाजियाबाद।

2-मु0अ0सं0 576/22 धारा 392 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

3-मु0अ0सं0 666/17 धारा 392/411/120बी भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

4-मु0अ0सं0 669/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

5-मु0अ0सं0 732/22 धारा 392,411,341 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

6-मु0अ0सं0 860/21 धारा 307 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

7-मु0अ0सं0 861/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

8-मु0अ0सं0 862/21 धारा 414 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

9-मु0अ0सं0 1068/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

10-मु0अ0सं0 1069/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

11-मु0अ0सं0 202/23 धारा 394/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

12-मु0अ0सं0 203/23 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त मनोज उर्फ मोनू का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 202/23 धारा 394/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 203/23 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरौही थाना बिनौली ।

2-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बिनौली ।

3-है0का0 496 किरनपाल भाटी थाना बिनौली ।

4-है0का0 525 दीपक कुमार थाना बिनौली ।

5-है0का0 99 मुनीष कुमार थाना बिनौली ।

6-है0का0 15 यशविन्दर कुमार थाना बिनौली ।

7-का0 478 अजीत कुमार थाना बिनौली ।

8-सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।

9-एसओजी टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.08.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी बुलेरो पिकअप नं0 DL-1LAJ-2020 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक गाडी बुलेरो पिकअप नं0 DL-1LAJ-2020 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-रिहान पुत्र वकील निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-सुहेल पुत्र मुस्तकीम निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त एक बुलैरो पिकअप नं DL-1LAJ-2020
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 819 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 387 अनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.08.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 29 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चंडीगढ़ मार्का व घटना में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो पिकअप नं0 UP-15FT-2329 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा



चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक गाडी बुलेरो पिकअप नं0 UP-15FT-2329, जिसमें 29 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चंडीगढ़ मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेश पुत्र रामसिंह निवासी मधुबनपुरम थाना टी0पी0 नगर जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- 29 पेटी अवैध अग्रेजी शराब चंडीगढ़ मार्का ।
- एक गाडी बुलेरो पिकअप नं० UP-15FT-2329

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-आबकारी निरीक्षक श्री अजय कुमार मय टीम --क्षेत्र प्रथम बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है०का० 173 रिकू कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-है०का० 12 सत्यवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 28-08-2023

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 132/23 धारा
308/336/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.2023 को थाना बालैनी पर वादी शोबिन्द्र पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सैदपुर खुर्द थाना बालैनी ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-राजेन्द्र पुत्र जयवीर, 2-सनोज पुत्र जयवीर व 3-जयवीर पुत्र मूलचन्द निवासीगण ग्राम सैदपुर खुर्द थाना बालैनी जनपद बागपत ने उसके साले जितेन्द्र एवं मनीष पुत्र जयविन्द्र व सचिन पुत्र सतवीर के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डो से मारपीट की, जिसमें उसके साले जितेन्द्र को गम्भीर चोट आयी तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु०अ०सं० 132/23 धारा 308/336/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 132/23 धारा 308/336/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेन्द्र पुत्र जयवीर निवासी ग्राम सैदपुर खुर्द थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 28.08.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 614/23 धारा 323/504/506/308
भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.08.2023 को वादी
इरफान पुत्र वहीदु निवासी ग्राम
औसिकका थाना बडौत जनपद
बागपत ने सूचना दी कि
अभियुक्तों 1-शारूख पुत्र
मुरसलीन , 2-अरशद पुत्र
मुरसलीन निवासी तावली थाना



बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर व 3- शौकीन पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम पसौंडा
थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद ने उसके व उसकी माता के साथ गाली-
गलौच करते हुए लाठी-डण्डो से मारपीट की, जिससे उसकी की माता को गंभीर
चोट आयी तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के
आधार पर मु0अ0सं0 614/23 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया
गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की
गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने
के मु0अ0सं0 614/23 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 03
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-शारूख पुत्र मुरसलीन निवासी तावली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2-अरशद पुत्र मुरसलीन निवासी तावली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 3-शौकीन पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम पसौंडा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० दिग्विजय सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 151 सन्दीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का० 1043 सुनील यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 433 गौरव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 28.08.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 615/23 धारा 323/504/506/325
भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.08.2023 को वादी साहिल पुत्र ताहिर निवासी फूसवाली मस्जिद कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-उमर पुत्र खालिद, 2-शाद पुत्र खालिद निवासी मौहल्ला शौरगिरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत व अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट की, जिससे उसको गंभीर चोट आयी तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 615/23 धारा 323/504/506/325 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 615/23 धारा 323/504/506/325 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-उमर पुत्र खालिद निवासी मौहल्ला शौरगिरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-शाद पुत्र खालिद निवासी मौहल्ला शौरगिरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 सोनवीर सिंह थाना बड़ौत ।
- 2-का0 814 अमित नागर थाना बड़ौत ।
- 3-का0 686 संजय थाना बड़ौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 28.08.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जुबेर पुत्र इजहारूल निवासी ग्राम पांची थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 188/2014 धारा 147/342/323/504/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 13/2019 धारा 323/352/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 185/2020 धारा 147/148/149/323/452/302/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 196/2020 धारा 307 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 197/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 37/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

7-मु0अ0सं0 114/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 राजीव कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-का0 1036 धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-का0 938 जसवन्त सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 28.08.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-शौराज पुत्र रामफल निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-विजय पुत्र विष्णुदत्त शर्मा निवासी ग्राम कुरडी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-राहुल शर्मा पुत्र विष्णुदत्त शर्मा निवासी ग्राम कुरडी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

- 4-ऋषिपाल पुत्र नकली सिंह निवासी लुहसाना थाना बुढाना मुजफ्फर नगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली ।
- 2-उ0नि0 श्री आशिफ अली थाना छपरौली ।
- 3-उ0नि0 श्री बृक्षपाल सिंह थाना छपरौली ।
- 4-का0 976 लवकुश थाना छपरौली ।
- 5-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली ।
- 6-का0 1028 मुरली थाना छपरौली ।
- 7-का0 953 अंकुल थाना छपरौली ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 28.08.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 51 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 51 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-मांगेराम पुत्र भोंदाराम निवासी पट्टी मैनुमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-रोहित राठी पुत्र ब्रह्म निवासी पट्टी छिजाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 51 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 876 कैलाश थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 28.08.2023

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र पुत्र हरफूल निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री मनीष कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है०का० 376 राजीव थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का० 913 शंकर लाल बघेल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 28.08.2023

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र रामपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विनय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 19 सोनित थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 28.08.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र जानू निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-का0 408 सुमित कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 395 ललित रौसा थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 28-08-2023

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने पुरा महादेव मन्दिर मेले में अपने परिजनों से पृथक हुई 03 वर्षीय बच्ची को उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

पुरा महादेव मन्दिर मेले में बैरियर पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को 03 वर्षीय बच्ची मिली, जो मेले में अपने परिजनों से पृथक हो गयी थी । पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अथक प्रयास कर मेले में बच्ची के परिजनों को तलाश किया गया तथा बच्ची को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।



सुपुर्द करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बालैनी ।
- 2-है०का० 277 रिकनपाल थाना बिनौली ।
- 3-है०का० 76 संजय पंवार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का० 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का० 677 देवेन्द्र सिंह यातायात पुलिस ।